भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2471

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : देश में कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों का नमूना परीक्षण

2471. श्री प्रवीन खंडेलवाल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों के नमूना परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया क्या है;

(ख) ऐसे परीक्षण करने वाली और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परीक्षण की आवृत्ति और घटिया उत्पादों से संबंधित हाल के किसी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इन उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) देश में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम 1968, बीज अधिनियम 1966 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, कीटनाशकों के परीक्षण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सीआईबीएंडआरसी) के पंजीकृत उत्पाद विनिर्देश (आरपीएस) द्वारा निर्धारित मानकों, बीजों के परीक्षण के लिए भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों और उर्वरकों के परीक्षण के लिए एफसीओ के प्रावधानों का उपयोग नमूना परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

अब तक देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों के नमूनों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता जांच करने के लिए कुल 73 कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं, 175 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं और 84 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और यदि नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल होते हैं तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उचित कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षक नमूनों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए नियमित अंतराल पर अपने अधिकार क्षेत्र में विनिर्माण इकाई और बिक्री केन्द्रों से नमूने लेते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 80,789 कीटनाशक नमूनों और 188,236 उर्वरक नमूनों का विश्लेषण किया गया। इनमें से 2,222 कीटनाशक नमूने और 8,988 उर्वरक नमूने घटिया पाए गए, जो कुल नमूनों का क्रमशः 2.7% और 4.7% है तथा दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में कीटनाशकों के निर्माण और उपयोग की अनुमति केवल कीटनाशकों की प्रभावकारिता और सुरक्षा का विश्लेषण करने के बाद ही देता है ताकि मनुष्य या जानवरों या पर्यावरण के लिए जोखिम को रोका जा सके और कीटनाशकों के लेबल और लीफलेट्स पर खुराक, फसल, एहतियाती उपाय, प्रतिकारक आदि का विवरण निर्धारित करती है। यदि पंजीकृत कीटनाशकों का उपयोग लेबल और लीफलेट्स के अनुसार किया जाता है तो वे कीटों के अलावा मनुष्यों, जानवरों, पर्यावरण और जीवित जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही, उत्पादन और वितरण श्रृंखला में बीजों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करके बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसेबिलिटी और होलिस्टिक इनवेंटरी (साथी) पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों और प्रयोगशालाओं के विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देती हैं।

******